न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–483 / 2026

C.N.R.No-UPGD010001458-2026

मोहम्मद फारूख आयु करीब 60 साल पुत्र मो0 सजीर निवासी आम सत्तन जोत थाना छपिया, जिला गोण्डा।

————प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ————————————————————————**अभियोगी**

अपराध संख्या–180 / 2020
धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3 / 4 डी0पी0एक्ट
थाना–छपिया, जिला–गोण्डा।

दिनांक–10.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त **मोहम्मद फारूख** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–180 / 2020, धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3 / 4 डी0पी0एक्ट थाना–छपिया, जिला–गोण्डा के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अभियुक्त के स्वयं के शपथ पत्र से समर्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है न खारिज या निस्तारित है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नियाज अलीपुत्र स्व0 सूबेदार निवासी ग्राम पूरे पाण्डेय मौजा रानीजोत, थाना छपिया, जिला गोण्डा कि लड़की सफीकुनिशा उम्र 26 वर्ष का निकाह दिनाक 19.04.2018 को मो0 शोएबे पुत्र मो0 फारूक निवासी सब्बनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के साथ हुआ था मेरी लड़की पर एक नौ माह का लड़का सैफअली है जब से मेरी लड़की की शादी हुई है शादी से लेकर आज तक परेशान करते आ रहे हैं आए दिन दहेज की माग कर रहे है जिसमें कूलर फ्रिज आदि शामिल है आज से पहले मेरी लड़की को उसकी सास, नन्द और देवर (सास–हसरतुनिशा ननद–अफसाना बानो व देवर–मो० सुहेल बहुत मारते पीटते थे खाना न देकर उत्पीड़न देते थे जिस कारण कल शाम मेरी लड़की ने मुझे फोन पर बताया कि मुझे परेशान कर रहे है और फोन भी नहीं करने दे रहे है और आज सुबह 7 बजे मुझे शाबान अली पुत्र मो० नसीर हमारे पड़ोसी द्वारा पता चला कि मेरी लडकी सफीकनिशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है मेरी लड़की का पति व ससुर सऊदी अरब में काम करने गये हुए थे खर्चा नहीं भेजते थे जिससे मेरी लड़की उत्पीड़ित रहती थी, इनके उत्पीड़न के कारण यह घटना हुई है। वादिनी ने तहरीर देकर उचित कार्यवाही किए जाने की याचना की।

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया, जनपद–गोण्डा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020 को समय 08.05बजे अभियुक्तगण हरतुनिशा सास, अफसाना बानो ननद, मो0 सुहैल देवर के विरूद्ध मु०अ०सं० 180 / 2020. अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3 / 4 डी0पी0एक्ट थाना छपिया जिला गोण्डा में पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त मो0 फारूख के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी है।

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.23 15:33:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में महज रंजिशन फर्जी फंसाया या है। जबकि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष हैं प्रार्थी का उक्त तथाकथित घटनाक्रम में कोई वास्ता व सरोकार नही है न सह है। तथाकथित घटना एकदम फर्जी बनावटी है तथा साजिशन प्रार्थी को उक्त मामले में अभियुक्त बनाया गया हैं प्रार्थी मृतका का ससुर है जो कि मृतका से कभी वास्ता व सरोकार विशेष नही रखता था प्रार्थी मृतका व अपने पुत्र के निकाह के बाद से ही रोजी रोजगार के सिलि सिले में सऊदी अरब चला गया था। प्रार्थी घटना के समय घटना पर भी मौजूद नही था उस समय भी सऊदी में था घटना के बाद वर्ष 2021 में अपने घर पुनः वापस आया था जो कि प्रार्थी के पासपोर्ट पर लगी मुहर डेट आफ एरावल से प्रमाणित होती है। प्रार्थी कभी किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना मृतका को नही दिया है प्रार्थी को महज रंशि के तहत बेजा मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थी के उपर लगाया गा आरोप निराधार असत्य है प्रार्थी अपनी बीबी हसरतुननिशा के खाते में खर्चा खानगी के लिए रूपये उकसे खाते में भेजा करता था किन्तु प्रार्थी को इस बात की कोई जानकारी नही है कि मृतका को प्रार्थी के घर वालो द्वारा खर्चा खानगी नही दिया जा रहा है। प्रार्थी के पूरे शरीर पर लकवा की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है जो चल फिर पाने में असमर्थ है प्रार्थी का दवा इलाज चल रहा है प्रार्थी बाद अग्रिम जमानत बराबर न्यायालय हाजिर होता रहेगा। प्रार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नही बनाया गया है बाद में विवेचक द्वारा प्रकाश में लाया गया है। इन कथनों के आधार पर प्रार्थी ने अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने की याचना की है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कथन कि कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बेटी को शादी के उपरान्त दहेज के लिए उत्पीड़ित करने मारने पीटने तथा मार डालने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बधित अभिलेख केस डायरी का अवलोकन किया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2018 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन् 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता जो वर्तमान में **भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 482** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेः—

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता, (2) आवेदक का पूर्ववत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या व किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है। (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और, (4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी0आर0एल0जे0 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथम दृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफतार किया जायेगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त मामले में नामित नही किया गया है बल्कि उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है जिसके आधार पर विवेचक द्वारा उसके नाम आरोपित किया गया है। प्रकरण में विवेचना होकर दिनांक

26.07.2023 को आरोपपत्र प्रषित न्यायालय किया जा चुका है। अग्रिम जमानत हेतु जो अन्य आधार लिए गए है उनको विचारण के स्तर पर देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित थाने की आख्या में अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त होने पर उसके फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित व विवेचना को प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता उपरोक्त अपराध कारित करने में दर्शित हो रही है। ऐसे में अभियुक्त को उपरोक्त मामले में फर्जी फंसाया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अत्एव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के तथ्य दृष्टिगत अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मो0 फारूक** द्वारा मु0अ0सं0 180/2020, धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0पी0एक्ट, थाना छपिया, जिला गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र **संख्या–483/2026 निरस्त** किया जाता है।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O.Code-UP2661
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1,
गोण्डा।

दिनांक 10.03.2026